**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड**
**7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001**

**परिपत्र**

**सं. आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./88/2025** **18 नवम्बर, 2025**

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक,
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

**विषयः धारा 29क के अधीन सम्यक् तत्परता को सुदृढ़ करने के संबंध में ।**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता/आई.बी.सी.) और उसके अधीन बनाए गए विनियम समाधान व्यावसायिक(आर.पी.) पर कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.) के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लेनदारों की समिति(सी.ओ.सी.) और भावी समाधान आवेदकों(पी.आर.ए.) द्वारा सुविचारित विनिश्यच करना सुकर बनाने के लिए विभिन्न कर्तव्य अधिरोपित करते हैं ।

2. संहिता की धारा 29क समाधान आवेदकों के लिए अपात्रता संबंधी मानदंड अधिकथित करती है, अर्थात् ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे कारपोरेट ऋणी(सी.डी.) के लिए, जिसके विरुद्ध सी.आई.आर.पी. चल रही है, कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं हैं । तदनुसार, संहिता और आई.बी.बी.आई.(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों के अधीन आर.पी. और पी.आर.ए. पर विभिन्न कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैः-

- **विनियम 36क(4):** आर.पी. को प्ररूप छ में धारा 29क के अधीन अपात्रता मानदंड का उल्लेख अवश्य करना चाहिए ।
- **विनियम 36क(7):** पी.आर.ए. को हित की अभिव्यक्ति के साथ इस बात की पुष्टि करते हुए वचनबंध प्रस्तुत करना चाहिए कि वे अपात्र नहीं हैं ।
- **धारा 30 और विनियम 39:** पी.आर.ए. को समाधान योजना के साथ पात्रता की पुष्टि करने हुए एक शपथपत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए ।
- **विनियम 36क(8):** आर.पी. को यह सत्यापित करने के लिए सम्यक् तत्परता अवश्य बरतनी चाहिए कि पी.आर.ए. धारा 29क का अनुपालन करते हैं ।
- **अनुपालन प्रमाणपत्र - प्ररूप ज:** आर.पी. को इस बात की अवश्य पुष्टि करनी चाहिए कि शपथपत्र सही है और उसके साथ सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए ।

3. धारा 29क के अनुपालन की बाबत सम्यक् तत्परता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुरक्षित होती है कि केवल विश्वसनीय समाधान आवेदक ही प्रक्रिया में भाग लें। इससे समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् विधिक चुनौतियों के जोखिम में भी कमी आती है ।

4 उपर्युक्त दृष्टि में, आर.पी. को यह निदेश दिया जाता है कि वे सी.ओ.सी. के समक्ष धारा 29क अनुपालन के संबंध में एक विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत करें जब समाधान योजनाओं पर विचार किया जाता है और यह सुनिश्चित करें कि सी.ओ.सी. के विचार-विमर्श और संप्रेक्षणों के कार्यवृत्त में समुचित रूप से लेखबद्ध किया जाए ।

5. यह परिपत्र संहिता की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महा-प्रबंधक